सराहनीय कार्य
थाना मांखी, जनपद उन्नाव

उन्नाव पुलिस

दिनाँक 14.11.2022

युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने व युवती के ही घर से रुपये एवं चांदी के जेवरात चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10/11.11.2022 को थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रामनगर से युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं युवती के घर से ही रुपये व चांदी के जेवर चुराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 11.11.2022 को वादी मुकदमा श्री राजाराम पुत्र स्व0 लीला नि0ग्राम रामनगर थाना माखी जनपद उन्नाव द्वारा थाना स्थानीय पर अपनी पुत्री पिंकी उम्र करीब 15 वर्ष के गायब होने के संबन्ध में थाना मांखी पर मु0अ0सं0 309/22 धारा 363/366 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। इसी दौरान कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स में सनसनी फैली कि लड़की पिंकी घर के अन्दर अकेली सो रही थी तथा घर के बाहर लड़की की माँ व उसकी छोटी बहन सोई हुई थी, जिसको रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में लूट पाट कर लडकी पिंकी को कही गायब कर दिया गया है तथा घटना स्थल पर खून के छीटे पाये गये थे । घटना की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव द्वारा तत्काल टीमों का गठन कर उक्त घटना का सफल अनावरण हेतु निर्देश दिये गये ।

थानाध्यक्ष मांखी श्री राम आसरे चौधरी, उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस टीम एवं एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार मय एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा घटना की जांच में प्रकाश

में आया कि वादी मुकदमा की पुत्री निर्मला जिसकी शादी सधवाखेडा थाना मांखी क्षेत्र अन्तर्गत सर्वेश के साथ हुई थी, जहां उसका नन्दोई सुरेश पुत्र गुरुबक्श निवासी गज्फर नगर थाना हसनगंज जिला उन्नाव वादी मुकदमा के घर अक्सर आता जाता रहता था, घटना के दिन भी सुरेश वादी

मुकदमा के घर आया हुआ था। जिसके पश्चात सुरेश उपरोक्त की तलाश की गई तो आज दिनांक 14.11.2022 को सुरेश उपरोक्त को पंकज पाल के मकान के सामने निर्मल नगर सहजनी थाना गंगाघाट के सामने से हिरासत मे लिया गया तथा सुरेश उपरोक्त के साथ ही अपहृता पिंकी उपरोक्त को भी सकुशल मौके से ही बरामद कर लिया गया एवं अभियुक्त सुरेश की जामातलाशी से चोरी की एक जोड़ी चांदी की तोड़िया व रू0 48000/- बरामद हुए । पूछताछ करने पर अभियुक्त सुरेश द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 10/11.11.2022 को राजाराम के घर काले रंग की पॉलीथीन में मुर्गे का खून लेकर आया तथा जहां पर पिंकी लेटी थी, उसके आस पास सीढ़ियों पर ,मकान की छत पर ,सड़क पर तथा घर के सामने दूसरी छत पर मुर्गे के खून के धब्बे लगाये व पिंकी के घर में रखे हुए रुपये व चांदी की पायल को चुराते हुए व पिंकी उपरोक्त को बहला फुसलाकर लेकर चला गया । उक्त घटना का सफल अनावरण कर अपहृता पिंकी की बरामदगी करते हुए अभियुक्त सुरेश पुत्र गुरुबक्श निवासी गज्फर नगर थाना हसनगंज जिला उन्नाव को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सुरेश पुत्र गुरुबक्श निवासी गज्फर नगर थाना हसनगंज जिला उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 14.11.2022 , समय- 08:40 बजे, स्थान- पंकज पाल के मकान के सामने निर्मल नगर सहजनी थाना गंगाघाट

बरामदगी-

अपहृता पिंकी उपरोक्त को सकुशल बरामद कर अभियुक्त सुरेश के कब्जे से चोरी की 01 जोड़ी चांदी की तोड़िया व रू0 48000/- बरामद किये गये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. श्री रामआसरे चौधरी (थानाध्यक्ष माखी)
2. उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह , थाना माखी
3. हे0का0 अफरोज अहमद, थाना माखी
4. का0 जयपाल सिंह ,थाना माखी
5. म0का0 नेहा शुक्ला ,थाना माखी
6. म0का0 खुशबू, थाना माखी

एसओजी टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार एसओजी प्रभारी
2. उ0नि0 राजेश मिश्रा
3. का0 सुनील कुमार
4. का0 आशीष मिश्रा
5. का0 अंकिल बैसला
6. का0 रवी कुमार
7. का0 कृष्णपाल
8. का0 चालक अमर सिंह

सर्विलांस टीम-

1. का0 राधेश्याम
2. का0 तरुण कुमार सिंह

उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य
थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

दिनाँक 14.11.2022

जिला बदर अपराधी अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- आज दिनांक 14.11.2022 को उ0नि0 विनोद कुमार गौतम मय हमराह पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर देवगांव के आगे सड़क पर श्री नरपत के मकान के सामने से थाना क्षेत्र के जिलाबदर अपराधी रजनीश नाई उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र स्व0 गुरूबक्श नि0 ग्राम नाजिरपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त को वाद सं0 3841/2021 कम्प्यूटरीकृत सं0 वाद संख्या D202110690003841 सरकार बनाम रजनीश अन्तर्गत धारा ¾ अभि0 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि 1970 में अपर जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव द्वारा दिनांक 3.10.2022 को गु0नि0 अधि0 की धारा 3(3) के अन्तर्गत 06 माह हेतु जिला बदर किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त की जामातलाशी ली गई तो कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 474/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 475/22 धारा 10 यू0पी0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.रजनीश नाई उम्र करीब 38 वर्ष S/O स्व0 गुरूबक्श R/O ग्राम नाजिरपुर थाना सफीपुर जिला उन्नाव

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 474/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
मु0अ0सं0 475/22 धारा 10 यू0पी0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970
मु0अ0सं0 356/17 धारा 452/323/504/506 भादवि
मु0अ0सं0 345/17 धारा 323/325/504 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 विनोद कुमार गौतम
2.हे0का0 चन्द्रप्रकाश तिवारी
3.का0 ओमनारायण